

**मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल**

राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की 24वीं बैठक,

दिनांक 04.08.2014 का कार्यवाही विवरण।

-----

मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय समिति की 24वीं बैठक दिनांक 04.08.2014 को प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संलग्न **परिशिष्ट-‘अ’** अनुसार समिति के सदस्य एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

1. **एजेण्डा क्रमांक-1** समिति की 23वीं बैठक दिनांक 20.02.2014 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।
2. **एजेण्डा क्रमांक-2** सदस्य सचिव द्वारा समिति की 23वीं बैठक दिनांक 20.02.2014 का पालन प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति 23वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में की गई कार्यवाही से अवगत हुई :-

समिति द्वारा एजेण्डा क्र. 3 से 10 एवं 12 से 42 तक में इकाईयों के क्लेम प्रकरणों पर चर्चा उपरांत लिये गये निर्णय का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

एजेण्डा क्रमांक	इकाई का नाम	उत्पादन दिनांक	पात्र स्थायी पूंजी निवेश (लाख में)	जिले की श्रेणी	सुविधा अवधि एवं दर	क्लेम वर्ष	निरीक्षण अधिकारी / वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा मान्य सहायता राशि (लाख में)	अनुशंसित निवेश संवर्धन सहायता राशि (लाख में)	समिति द्वारा लिये गये निर्णय / स्वीकृत राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	मेसर्स व्हीआरएस फूड लि., मालनपुर	16.03.2009	4377.23	‘स’	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 16.03.2009 से दिनांक 15.03.2019 तक (10 वर्ष)	2008-09	1.19	1.19	1.19

एजेण्डा क्रमांक	इकाई का नाम	उत्पादन दिनांक	पात्र स्थायी पूंजी निवेश (लाख में)	जिले की श्रेणी	सुविधा अवधि एवं दर	क्लेम वर्ष	निरीक्षण अधिकारी / वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा मान्य सहायता राशि (लाख में)	अनुशंसित निवेश संवर्धन सहायता राशि (लाख में)	समिति द्वारा लिये गये निर्णय / स्वीकृत राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	मेसर्स व्हीआरएस फूड लि., मालनपुर	16.03.2009	4377.23	'स'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 16.03.2009 से दिनांक 15.03.2019 तक (10 वर्ष)	2009-10	28.80	28.80	28.80
5.	मेसर्स व्हीआरएस फूड लि., मालनपुर	16.03.2009	4377.23	'स'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 16.03.2009 से दिनांक 15.03.2019 तक (10 वर्ष)	2010-11	81.11	81.11	81.11
6.	मेसर्स कृष्णा फास्केम लि., झाबुआ	07.10.2012	1879.49	'स'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 07.10.2012 से दिनांक 06.10.2022 तक (10 वर्ष)	2012-13	40.83	40.83	40.83
7.	मेसर्स पेरेन्ट्रल ड्रग इंडिया लि., इन्दौर	28.02.2010	6806.41	विकसित जिला	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 28.02.2010 से दिनांक 27.02.2013 तक (03 वर्ष)	2010-11	93.29	93.29	93.29
8.	मेसर्स केजेएस सीमेंट लि., सतना	09.03.2012	85755.04	'अ'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 09.03.2012 से दिनांक 08.03.2019 तक (07 वर्ष)	2011-12	9.73	9.73	9.73
9.	मेसर्स जे.पी.सीधी सीमेंट प्लांट, सीधी	01.03.2009	76300.00	'स'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 01.03.2009 से दिनांक 28.02.2019 तक (10 वर्ष)	2010-11	3120.30	3120.30	3120.00
10.	मेसर्स मेसर्स वर्धमान यार्न (ए यूनिट ऑफ वर्धमान टेक्सटाईललि.) सतलापुर (मण्डीदीप)	15.05.2007	19576.03	'स'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 15.05.2007 से दिनांक 14.05.2017 तक (10 वर्ष)	2008-09	—	—	अमान्य
12.	मेसर्स जयदीप ग्लास वर्क्स प्रा.लि., पीथमपुर	20.03.2009	3321.31	'स'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 20.03.2009 से दिनांक 19.03.2019 तक ( 10 वर्ष)	2009-10	18.95	18.74	18.95
13.	मेसर्स एम एण्ड बी स्विचगेयर लि., यूनिट-2 इन्दौर	28.03.2009	511.56	विकसित जिला	50 प्रतिशत अवधि दिनांक 28.03.2009 से दिनांक 27.03.2012 तक (03 वर्ष)	2009-10	1.94	1.94	1.94

एजेण्डा क्रमांक	इकाई का नाम	उत्पादन दिनांक	पात्र स्थायी पूंजी निवेश (लाख में)	जिले की श्रेणी	सुविधा अवधि एवं दर	क्लेम वर्ष	निरीक्षण अधिकारी / वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा मान्य सहायता राशि (लाख में)	अनुशंसित निवेश संवर्धन सहायता राशि (लाख में)	समिति द्वारा लिये गये निर्णय / स्वीकृत राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	मेसर्स पेंटागान लेक्स लि., देवास	15.05.2006	556.76	'अ'	50 प्रतिशत अवधि दिनांक 15.05.2006 से दिनांक 14.05.2011 (5 वर्ष)	2009-10	19.29	19.29	19.29
15.	मेसर्स क्रिस्टोपिया एनर्जी सिस्टम (इंडिया) प्रा.लि., यूनिट-2, इन्दौर	30.09.2007	343.39	विकसित जिला	50 प्रतिशत अवधि दिनांक 30.09.2007 से दिनांक 29.09.2010 तक (03 वर्ष)	2010-11	4.21	4.21	वाणिज्यिक कर विभाग से प्रतिवेदन अपेक्षित होने के कारण स्थगित
16.	मेसर्स एस.डी.बंसल आयरन एण्ड स्टील प्रा.लि., मण्डीदीप	07.04.2008	1240.29	'स'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 07.04.2008 से दिनांक 06.04.2018 तक (10 वर्ष)	2010-11	152.40 वा.कर.अधि. द्वारा	138.15	138.15
17.	मेसर्स मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लि., यूनिट-2, सागर	29.03.2012	3481.63	'स'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 29.03.2012 से दिनांक 28.03.2022 तक (10 वर्ष)	2012-13	142.14	142.14	142.14
18.	मेसर्स आईपीएफ विक्रम इंडिया लि., यूनिट-1, पीथमपुर	05.01.2009	1378.00	'स'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 05.01.2009 से दिनांक 04.01.2019 तक (10 वर्ष)	2010-11	68.13	68.13	68.12
19.	मेसर्स जयदीप इस्पात एण्ड एलॉय प्रा.लि., पीथमपुर	04.03.2006	322.00	'स'	50 प्रतिशत अवधि दिनांक 04.03.2006 से दिनांक 03.03.2011 तक (05 वर्ष)	2010-11	57.96	57.96	57.96
20.	मेसर्स भारती इन्फॉट प्रा.लि., पीथमपुर	24.02.2010	503.98	'स'	50 प्रतिशत अवधि दिनांक 24.02.2010 से दिनांक 23.02.2015 तक (05 वर्ष)	2010-11	61.01	61.01	61.01

एजेण्डा क्रमांक	इकाई का नाम	उत्पादन दिनांक	पात्र स्थायी पूंजी निवेश (लाख में)	जिले की श्रेणी	सुविधा अवधि एवं दर	क्लेम वर्ष	निरीक्षण अधिकारी / वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा मान्य सहायता राशि (लाख में)	अनुशंसित निवेश संवर्धन सहायता राशि (लाख में)	समिति द्वारा लिये गये निर्णय / स्वीकृत राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	मेसर्स केस न्यू हॉलैंड कंस्ट्रक्शन इक्यूपमेंट इंडिया प्रा.लि., पूर्व नाम मे. एल एण्ड टी केस इक्यूपमेंट प्रा.लि., पीथमपुर	15.03.2009	3360.83	'स'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 15.03.2009 से दिनांक 14.03.2019 तक (10 वर्ष)	2010-11	71.78	71.78	71.78
22.	मेसर्स क्वालिटी वोबन सेक प्रा.लि., रीवा	26.03.2008	1807.62	'स'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 26.03.2008 से दिनांक 25.03.2018 तक (10 वर्ष)	2011-12	208.02	208.02	208.02
23.	मेसर्स तिरुपति कोरुगेटर्स, उज्जैन	28.10.2010	1083.27	'स'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 28.10.2010 से दिनांक 27.10.2020 तक (10 वर्ष)	2012-13	206.38	206.38	206.38
24.	मेसर्स भण्डारी फाइल्स एण्ड ट्यूब्स लि., (सिया यूनिट) देवास	06.02.2012	2274.46	'अ'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 06.02.2012 से दिनांक 05.02.2017 तक (05 वर्ष )	2012-13	206.85	206.85	206.85
25.	मेसर्स खन्ना पॉलीवेव प्रा.लि., रीवा	18.08.2011	1063.92	'स'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 18.08.2011 से दिनांक 17.08.2021 तक (10 वर्ष)	2012-13	124.13	124.13	124.13
26.	मेसर्स डिलाइट डेयरी लि., देवास	15.09.2007	474.20	'अ'	50 प्रतिशत अवधि दिनांक 15.09.2007 से दिनांक 14.09.2012 तक (05 वर्ष)	2010-11	28.40	28.40	28.40
27.	मेसर्स प्लेटिनम सीमेंट प्रा.लि., धार	27.03.2009	402.64	'स'	50 प्रतिशत अवधि दिनांक 27.03.2009 से 26.03.2014 तक (05 वर्ष)	2012-13	35.66	35.66	35.66
28.	मेसर्स कटारिया इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. ,रतलाम	19.03.2007	3569.24	'अ'	50 प्रतिशत अवधि दिनांक 19.03.2007 से दिनांक 18.03.2012 तक (05 वर्ष)	2010-11	464.65	309.77	309.61

एजेण्डा क्रमांक	इकाई का नाम	उत्पादन दिनांक	पात्र स्थायी पूंजी निवेश (लाख में)	जिले की श्रेणी	सुविधा अवधि एवं दर	क्लेम वर्ष	निरीक्षण अधिकारी / वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा मान्य सहायता राशि (लाख में)	अनुशंसित निवेश संवर्धन सहायता राशि (लाख में)	समिति द्वारा लिये गये निर्णय / स्वीकृत राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	मेसर्स भण्डारी फाइल्स एण्ड ट्यूब्स लि., यूनिट-3 देवास	26.03.2006	1154.25	'अ	50 प्रतिशत दिनांक 26.03.2006 से दिनांक 25.03.2011 तक (05 वर्ष )	2010-11	74.56	74.56	74.56
30.	मेसर्स कृष्णा बेल्ट प्रा. लि., छिंदवाडा	25.03.2009	1069.12	'स'	75 प्रतिशत अवधि दि. 25.03.2009 से दिनांक 24.03.2019 तक (10 वर्ष)	2010-11	19.76	19.76	19.75
31.	मेसर्स यूनिवर्सल केबल्स लि., सतना	29.03.2007	6782.53	'अ	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 29.03.2007 से दिनांक 28.03.2014 तक (07 वर्ष)	2011-12	387.68	387.68	387.68
32.	मेसर्स अनिक इण्डस्ट्रीज लि., भोपाल	28.03.2008	325.40	विकसित जिला	50 प्रतिशत अवधि दिनांक 28.03.2008 से दिनांक 27.03.2011 (03 वर्ष)	2010-11	10.00	10.00	10.00
33.	मेसर्स मैहर सीमेंट, सतना	01.01.2007	8767.45	'अ	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 01.01.2007 से दिनांक 31.12.2013 तक (07 वर्ष)	2011-12	671.63	671.63	596.29
34.	मेसर्स डिजीटल माईक्रोन रोटो प्रिंट प्रा.लि., पीथमपुर	01.10.2008	487.83	'स'	50 प्रतिशत अवधि दिनांक 01.10.2008 से दिनांक 30.09.2013 तक (05 वर्ष)	2008-09	0.37	0.37	0.37
35.	मेसर्स डिजीटल माईक्रोन रोटो प्रिंट प्रा.लि., पीथमपुर	01.10.2008	487.83	'स'	50 प्रतिशत अवधि दिनांक 01.10.2008 से दिनांक 30.09.2013 तक (05 वर्ष)	2009-10	10.09	10.09	10.08
36.	मेसर्स डिजीटल माईक्रोन रोटो प्रिंट प्रा.लि., पीथमपुर	01.10.2008	487.83	'स'	50 प्रतिशत अवधि दिनांक 01.10.2008 से दिनांक 30.09.2013 तक (05 वर्ष)	2010-11	13.45	13.45	13.45
37.	मेसर्स सतगुरु सीमेंट प्रा.लि., धार	30.03.2009	1223.63	'स'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 30.03.2009 से दिनांक 29.03.2019 तक (10 वर्ष )	2012-13	76.66	76.66	76.66

एजेण्डा क्रमांक	इकाई का नाम	उत्पादन दिनांक	पात्र स्थायी पूंजी निवेश (लाख में)	जिले की श्रेणी	सुविधा अवधि एवं दर	क्लेम वर्ष	निरीक्षण अधिकारी/ वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा मान्य सहायता राशि (लाख में)	अनुशंसित निवेश संवर्धन सहायता राशि (लाख में)	समिति द्वारा लिये गये निर्णय/ स्वीकृत राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.	मेसर्स बेलमेक्स मेटल इंडिया लि., धार	30.12.2009	524.09	'स'	50 प्रतिशत अवधि दिनांक 30.12.2009 से दिनांक 29.12.2014 तक (05 वर्ष)	2011-12	270.67	270.67	270.67
39.	मेसर्स जेपी रीवा प्लांट, रीवा	01.10.2005	13459.27	'स'	75 प्रतिशत दिनांक 01.10.2005 से दिनांक 30.09.2015 तक (10 वर्ष )	2010-11	280.69	280.69	280.69
40.	मेसर्स जेपी बेला प्लांट, रीवा	01.10.2005	9552.66	'स'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 01.10.2005 से दिनांक 30.09.2015 तक (10 वर्ष)	2010-11	148.69	148.69	80.25
41.	मेसर्स पेब स्टील लॉयड इंडिया लि., पीथमपुर	01.08.2007	2101.70	'स'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 01.08.2007 से दिनांक 31.07.2017 तक (10 वर्ष)	2010-11	125.27	125.27	125.27
42.	मेसर्स नाहर पोलीफिल्म, मण्डीदीप	20.05.2010	15607.32	'स'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 20.05.2010 से दिनांक 19.05.2020 तक (10 वर्ष)	2011-12	320.95	308.71	308.71

समिति द्वारा एजेण्डा क्र. 3 से 42 तक में इकाईयों के क्लेम प्रकरणों एवं नीतिगत प्रकरण पर चर्चा उपरांत लिये गये निर्णय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

3. एजेण्डा क्रमांक-3-मेसर्स व्हीआरएस फूड लि. मालनपुर-समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2008-09 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित एवं शवलीकृत है। विस्तार एवं शवलीकृत अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 16.03.2009 है। वर्ष 2008-09 हेतु इकाई का यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा इकाई का उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रु. 4377.23 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 16.03.2009 से 15.03.2019 तक (10 वर्ष) मान्य की जाकर इकाई के वर्ष 2008-09 में चुकाये गये कर की

राशि रू. 1.59 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 1.19 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

4. एजेण्डा क्रमांक-4-मेसर्स व्हीआरएस फूड लि. मालनपुर-समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009-10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित एवं शवलीकृत है। विस्तार एवं शवलीकृत अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 16.03.2009 है। वर्ष 2009-10 हेतु इकाई का यह द्वितीय क्लेम है। समिति द्वारा एजेण्डा क्रमांक-3 में इकाई का उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 4377.23 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 16.03.2009 से 15.03.2019 तक (10 वर्ष) मान्य की गई है। इकाई के वर्ष 2009-10 में चुकाये गये कर की राशि रू. 38.40 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 28.80 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।
5. एजेण्डा क्रमांक:-5-मेसर्स व्हीआरएस फूड लि. मालनपुर-समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित एवं शवलीकृत है। विस्तार एवं शवलीकृत अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 16.03.2009 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई का यह तृतीय क्लेम है। समिति द्वारा एजेण्डा क्रमांक-3 में इकाई का उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 4377.23 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 16.03.2009 से 15.03.2019 तक (10 वर्ष) मान्य की गई है। इकाई के वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर की राशि रू. 108.15 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 81.11 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।
6. एजेण्डा क्रमांक-6-मेसर्स कृष्णा फास्केम लि., झाबुआ-समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2012-13 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई शवलीकृत उत्पाद का उत्पादन दिनांक 07.10.2012 से प्रारंभ किया है। वर्ष 2012-13 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश 1879.49 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 07.10.2012 से 06.10.2022 तक (10 वर्ष) मान्य की जाकर इकाई के वर्ष 2012-13 में चुकाये गये कर की राशि रू. 54.45 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 40.83 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।
7. एजेण्डा क्रमांक-7-मेसर्स पेरेन्द्रल ड्रग इंडिया लि., इन्दौर-समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित एवं शवलीकृत है। विस्तार एवं शवलीकृत अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 28.02.2010 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई का यह द्वितीय क्लेम है। समिति की बैठक दिनांक 25.02.2012 में इकाई का

उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 6806.41 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 28.02.2010 से 27.02.2013 तक (03 वर्ष) मान्य की गई है। इकाई के वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर की राशि रू. 124.38 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 93.29 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

8. **एजेण्डा क्रमांक-8-मेसर्स केजेएस सीमेंट लि., सतना-समिति** द्वारा इकाई के वर्ष 2011-12 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 09.03.2012 है। वर्ष 2011-12 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 85755.04 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 09.03.2012 से 08.03.2019 तक (07 वर्ष) मान्य किया जाकर इकाई के वर्ष 2011-12 में चुकाये गये कर की राशि रू. 12.98 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 9.73 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।
9. **एजेण्डा क्रमांक-9-मेसर्स जे.पी.सीधी सीमेंट प्लांट, सीधी-समिति** द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 01.03.2009 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई का यह द्वितीय क्लेम है। समिति की बैठक दिनांक 26.09.2012 में प्रथम क्लेम के दौरान उत्पादन तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 76300.00 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.03.2009 से 28.02.2019 तक (10 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। इकाई के वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर की राशि रू. 4160.00 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 3120.00 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।
10. **एजेण्डा क्रमांक-10-मेसर्स मेसर्स वर्धमान यार्न (ए यूनिट ऑफ वर्धमान टेक्सटाईल लि.) सतलापुर (मण्डीदीप)-समिति** की इक्कीसवीं बैठक दिनांक 15.05.2013 में इकाई के वर्ष 2008-09 के क्लेम प्रकरण में अंतिम उत्पाद "यार्न" पर चुकाये गये कुल कर रू. 164.02 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 123.01 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई थी, जिसका वितरण इकाई के पक्ष में वाणिज्यिक कर विभाग को किया जा चुका है। उक्त स्वीकृत राशि में वेस्ट प्रोडक्ट्स एवं स्क्रेप के विक्रय पर चुकाये गये कर की राशि को सम्मिलित नहीं किया गया था।

समिति के उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध इकाई द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर वेस्ट प्रोडक्ट्स एवं स्क्रेप पर चुकाये गये कर की राशि पर सहायता दिये जाने हेतु अभ्यावेदन



प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया है कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाले वेस्ट एवं स्क्रेप उत्पादन प्रक्रिया का ही हिस्सा है, जिसके विक्रय पर चुकाये जाने वाले कर पर भी इकाई को निवेश संवर्धन सहायता प्राप्त होनी चाहिए। इकाई ने वेस्ट प्रोडक्ट के विक्रय पर जमा वेट रू. 42,49,831.00 एवं सीएसटी रू.16,28,956.00 कुल रू.58,78,787.00 जमा किये हैं। जो समिति की बैठक दिनांक 15.05.2013 में इकाई के वर्ष 2008-09 के क्लेम स्वीकृति के दौरान सम्मिलित नहीं किया गया था।

इकाई द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय हेतु प्रकरण समिति की बैठक दिनांक 17.09.2013 में उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना-2004 की कण्डिका 3.10 जो निम्नानुसार है, के उद्धरण के साथ विचारार्थ रखा गया:-

“वाणिज्यिक कर से तात्पर्य है म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी द्वारा मध्यप्रदेश में उत्पादित माल के विक्रय पश्चात् कर के रूप में जमा की गई राशि, जिसमें उत्पादन हेतु क्रय किये गये कच्चे माल के क्रय कर के भुगतान की गई राशि सम्मिलित नहीं होगी।

म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 के स्थान पर मूल संवर्धन (VAT) कर लागू होने पर केवल “वाणिज्यिक कर” के रूप में जमा की गई राशि कर के रूप में मान्य होगी।”

समिति की बैठक दिनांक 17.09.2013 में समिति द्वारा इकाई के मूल उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया में वेस्ट प्रॉडक्ट एवं स्क्रेप किस स्टेज पर निकलता है, कि जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।

समिति के उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इकाई से संबंधित जानकारी महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मण्डीदीप से चाही गई। महाप्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई के उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत फ्लो चार्ट के अनुसार निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों यथा ब्लो रूम, कार्ड ब्रेकर ड्रा फ्रेम, यूनिलैप, काम्बर, फिनिशर ड्रा फ्रेम, स्फीड फ्रेम, रिंग फ्रेम व बाइंडिंग से वेस्ट प्रोडक्ट निकलना तथा यह वेस्ट प्रोडक्ट एक ही जगह पर अलग-अलग स्टेज से प्राप्त अलग-अलग सेक्सन ब्लो पाइप के जरिये एकत्रित होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 की कण्डिका 3.10 में निहित प्रावधान अनुसार समिति द्वारा विचार किया गया। इकाई का उत्पाद “यार्न” होने से वेस्ट प्रोडक्ट एवं स्क्रेप के विक्रय पश्चात जमा किये गये कर पर सहायता की पात्रता नहीं होने के कारण समिति द्वारा इकाई का अभ्यावेदन अमान्य किया गया।

**11. एजेण्डा क्रमांक-11-मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना अंतर्गत उत्पादन दिनांक के पश्चात बढे हुये पूंजी निवेश के आधार पर अवधि में वृद्धि-उद्योग निवेश संवर्धन**

सहायता योजना-2004 की कंडिका-3.7 (अ) एवं कंडिका-6 के अनुसार इकाईयों को निवेश संवर्धन सहायता सुविधा की मात्रा एवं अवधि की गणना, इकाईयों द्वारा उत्पादन दिनांक तक किये गये स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर की जाती है अर्थात् ऐसी इकाईयां जिनका उत्पादन दिनांक तक योजनान्तर्गत मान्य योग्य स्थायी पूंजी निवेश पिछड़ा 'स' / पिछड़ा 'ब' / पिछड़ा 'अ' / अग्रणी जिले में क्रमशः रू.10.00 / 15.00 / 20.00 / 25.00 / करोड़ से कम रहता है, को वर्तमान 50 प्रतिशत सुविधा प्राप्त होती है जो कि आगे भी निरंतर रहती है।

राज्य स्तरीय समिति के समक्ष यह तथ्य सामने आया कि कुछ इकाईयों द्वारा कम पूंजी निवेश के साथ उत्पादन प्रारंभ करते हुये मूल परियोजना के अनुरूप शेष पूंजी निवेश उत्पादन दिनांक के पश्चात् किया जाता है, तथा शेष पूंजी निवेश के पश्चात् इकाई का कुल पूंजी निवेश, जिले की श्रेणी के अनुसार 75 प्रतिशत सुविधा हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है। अतः ऐसे प्रकरणों में इकाईयों की सुविधा 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत किये जाने तथा सुविधा अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.02.2012 में निर्णय लिया गया है।

राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप इकाईयों की सुविधा की मात्रा में 25 प्रतिशत तथा सुविधा अवधि में भी वृद्धि होने से शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार आने के कारण समिति द्वारा लिये गये निर्णय की पुष्टि वित्त विभाग से चाही गई।

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के पत्र दिनांक 21.02.2014 के अनुसार वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव पर निम्नानुसार अभिमत दिया गया है:-

1. उद्योगों द्वारा उत्पादन प्रारंभ होने के बाद निरंतर विस्तार एवं आधुनिकीकरण करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके आधार पर राज्य शासन की सहायता में वृद्धि करने का औचित्य नहीं है।
2. प्रशासकीय विभाग के प्रस्ताव राज्य शासन पर सहायता (वित्तीय) प्रदान करने का निरंतर बढ़ता हुआ व्यय भार आयेगा।
3. अतः वित्त विभाग के पूर्व के अभिमत पर रहते हुये प्रस्ताव से असहमति व्यक्त की जाती है।

शासन के उपरोक्त निर्णय से समिति अवगत हुई तथा निर्णय लिया गया कि उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना-2004 की कंडिका-3.7 (अ) एवं कंडिका-6 के अनुसार इकाईयों को निवेश संवर्धन सहायता सुविधा की मात्रा एवं अवधि की गणना, इकाईयों द्वारा उत्पादन दिनांक तक किये गये स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर ही की जावे।

12. एजेण्डा क्रमांक-12-मेसर्स जयदीप ग्लास वर्क्स प्रा.लि., पीथमपुर-समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009-10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 20.03.2009 है। वर्ष 2009-10 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रु. 3321.31 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 20.03.2009 से 19.03.2019 तक (10 वर्ष) मान्य किया जाकर इकाई के वर्ष 2009-10 में चुकाये गये कर की राशि रु. 25.27 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 18.95 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।
13. एजेण्डा क्रमांक-13-मेसर्स एम एण्ड बी स्विचगेयर लि., यूनिट-2 इन्दौर-समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009-10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 28.03.2009 है। वर्ष 2009-10 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। समिति की 13वीं बैठक दिनांक 01.01.2011 में इकाई द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक 12.03.2010 से वास्तविक सुविधा का लाभ एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक 28.03.2009 से किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रु. 511.56 लाख एवं इकाई की पात्रता अवधि दिनांक 28.03.2009 से 27.03.2012 (03 वर्ष) मान्य की जाकर इकाई के वर्ष 2009-10 में दिनांक 12.03.2010 से दिनांक 31.03.2010 की अवधि में चुकाये गये कर की राशि रु. 3.88 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रु. 1.94 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।
14. एजेण्डा क्रमांक-14-मेसर्स पेंटागान लेब्स लि., देवास-समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009-10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 15.05.2006 है। वर्ष 2009-10 हेतु इकाई से प्राप्त यह चतुर्थ क्लेम है। समिति की बैठक दिनांक 27.10.2009 में प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रु. 556.76 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 15.05.2006 से 14.05.2011 तक (05 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। इकाई के वर्ष 2009-10 में चुकाये गये कर की राशि रु. 38.59 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रु. 19.29 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।
15. एजेण्डा क्रमांक-15-मेसर्स क्रिस्टोपिया एनर्जी सिस्टम (इंडिया) प्रा.लि., यूनिट-2, इन्दौर- समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई के क्लेम प्रकरण शक्तीकृत उत्पाद हेतु है, जिसका उत्पादन दिनांक 30.09.2007 है।

वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई के संबंध में संभागीय उपायुक्त का प्रतिवेदन अपेक्षित है। अतः समिति द्वारा प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

**16. एजेण्डा क्रमांक-16-मेसर्स एस.डी.बंसल आयरन एण्ड स्टील प्रा.लि., मण्डीदीप-समिति** द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई का नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। इकाई के दो उत्पाद "टीएमटी बार" एवं "एमएस इन्गॉट" का क्रमशः उत्पादन दिनांक 07.04.2008 एवं 07.06.2009 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम है। समिति की बैठक दिनांक 30.03.2010 में प्रथम क्लेम के दौरान उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 1240.29 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 07.04.2008 से 06.04.2018 तक (10 वर्ष) मान्य की जा चुकी है।

इकाई के दो उत्पाद क्रमशः "टीएमटी बार" एवं "एमएस इन्गॉट" है जिसमें से "टीएमटी बार" हेतु योजनान्तर्गत पंजीयन दिनांक 03.04.2007 को किया गया। तत्पश्चात "एमएस इन्गॉट" को पंजीयन में शामिल करने हेतु आवेदन दिनांक 24.05.2012 को प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 26.09.2012 में लिये गये निर्णयानुसार "एमएस इन्गॉट" को पंजीयन में शामिल किया गया तथा उक्त उत्पाद पर सहायता दिनांक 24.05.2012 से दिया जाने का निर्णय लिया गया है।

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा इकाई के दोनों उत्पाद हेतु चुकाये गये कर की राशि रू.203.20 लाख (जिसमें एमएस इन्गॉट के विक्रय कर राशि रू. 18.99 लाख को सम्मिलित है) के 75 प्रतिशत अर्थात् रू.152.40 लाख की सुविधा दिये जाने हेतु कर पुष्टि आदेश जारी किया गया है। समिति की बैठक दिनांक 26.09.2012 में लिये गये निर्णयानुसार "एमएस इन्गॉट" पर चुकाये गये कर की राशि की पात्रता दिनांक 24.05.2012 से होगी अतः इकाई को वर्ष 2010-11 में उक्त उत्पाद पर चुकाये गये कर की पात्रता नहीं है।

समिति द्वारा इकाई के उत्पाद "टीएमटी बार" पर वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर की राशि रू. 184.20 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर पर चुकाये को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 138.15 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

**17. एजेण्डा क्रमांक-17-मेसर्स मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लि., यूनिट-2, सागर-समिति** द्वारा इकाई के वर्ष 2012-13 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 29.03.2012 है। वर्ष 2012-13 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय वर्ष का प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा इकाई का उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 3194.74 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 29.03.2012 से 28.03.2022 तक (10 वर्ष) मान्य की जाकर इकाई के वर्ष 2012-13 में

चुकाये गये कर की राशि रू. 189.52 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 142.14 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

**18. एजेण्डा क्रमांक-18-मेसर्स आईपीएफ विक्रम इंडिया लि., यूनिट-1, पीथमपुर-समिति** द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 05.01.2009 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई का यह तृतीय क्लेम है। समिति की बैठक दिनांक 01.01.2011 में प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 1060.91 लाख एवं समिति की बैठक दिनांक 15.05.2013 में द्वितीय क्लेम की स्वीकृति के दौरान उत्पादन दिनांक से तीन वर्षों की अवधि में किये गये अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश रू.317.09 लाख इस प्रकार कुल रू. 1378.00 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 05.01.2009 से 04.01.2019 तक (10 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। इकाई के वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर की राशि रू. 90.83 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 64.12 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

**19. एजेण्डा क्रमांक-19-मेसर्स जयदीप इस्पात एण्ड एलॉय प्रा.लि., पीथमपुर-समिति** द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 04.03.2006 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई का यह पांचवा क्लेम है। समिति की बैठक दिनांक 17.12.2007 में इकाई के प्रथम क्लेम स्वीकृति के दौरान उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 322.00 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 04.03.2006 से 03.03.2011 तक (05 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। इकाई के वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर की राशि रू.115.92 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू.57.96 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

**20. एजेण्डा क्रमांक-20-मेसर्स भारती इन्गॉट प्रा.लि., पीथमपुर-समिति** द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 24.02.2010 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय वर्ष का प्रथम क्लेम है। समिति की 13वीं बैठक दिनांक 01.01.2011 में इकाई द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक 29.06.2010 से वास्तविक सुविधा का लाभ एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक 24.02.2010 से किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 503.98 लाख एवं पात्रता अवधि दिनांक 24.02.2010 से 23.02.2015 (05 वर्ष) मान्य की जाकर वर्ष 2010-11 में दिनांक 29.06.2010 से दिनांक 31.03.2011 की अवधि में चुकाये गये कर की

राशि रू. 122.02 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 61.01 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

**21. एजेण्डा क्रमांक-21—मेसर्स केस न्यू हॉलैंड कंस्ट्रक्शन इक्यूपमेंट इंडिया प्रा.लि., पूर्व नाम मे. एल एण्ड टी केस इक्यूपमेंट प्रा.लि., पीथमपुर—समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 15.03.2009 है।**

इकाई के पूर्व नाम मेसर्स एल एण्ड टी केस इक्यूपमेंट प्रा.लि. के नाम से पंजीयन क्रमांक 178 दिनांक 23.02.2008 को जारी किया गया था। तत्पश्चात इकाई का नाम मेसर्स केस न्यू हॉलैंड कंस्ट्रक्शन इक्यूपमेंट इंडिया प्रा.लि. होने से संशोधित पंजीयन दिनांक 25.07.2014 को जारी किया गया है।

वर्ष 2010-11 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय वर्ष का प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा इकाई का उत्पादन दिनांक 15.03.2009 तक किये गये स्थायी पूंजी निवेश रू. 3360.83 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 15.03.2009 से 14.03.2019 तक (10 वर्ष) मान्य की जाकर इकाई के वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर की राशि रू. 95.71 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 71.78 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

**22. एजेण्डा क्रमांक-22—मेसर्स क्वालिटी वोबन सेक प्रा.लि., रीवा—समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2011-12 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 26.03.2008 है। वर्ष 2011-12 हेतु इकाई का यह पंचम क्लेम है। समिति की बैठक दिनांक 17.06.2009 में प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान उत्पादन दिनांक तक किये गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 1056.66 लाख एवं समिति की बैठक दिनांक 17.09.2013 में चतुर्थ क्लेम की स्वीकृति के दौरान उत्पादन दिनांक से तीन वर्षों की अवधि में किये गये अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश रू. 750.96 लाख इस प्रकार कुल रू. 1807.62 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 26.03.2008 से 25.03.2018 तक (10 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। इकाई के वर्ष 2011-12 में चुकाये गये कर की राशि रू. 277.36 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 208.02 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।**

**23. एजेण्डा क्रमांक-23—मेसर्स तिरुपति कोरुगेटर्स, उज्जैन—समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2012-13 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 28.10.2010 है। वर्ष 2012-13 हेतु इकाई का यह तृतीय क्लेम है। समिति की बैठक दिनांक 21.12.2012 में इकाई के प्रथम क्लेम स्वीकृति**

- के दौरान उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 1083.27 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 28.10.2010 से 27.10.2020 तक (10 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। इकाई के वर्ष 2012-13 में चुकाये गये कर की राशि रू. 275.18 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 206.38 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।
- 24. एजेण्डा क्रमांक-24-मेसर्स भण्डारी फाइल्स एण्ड ट्यूब्स लि., (सिया यूनिट) देवास-** समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2012-13 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 06.02.2012 है। वर्ष 2012-13 हेतु इकाई का यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 2274.46 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 06.02.2012 से 05.02.2017 तक (05वर्ष) मान्य की जाकर इकाई के वर्ष 2012-13 में चुकाये गये कर की राशि रू. 275.80 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 206.85 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।
- 25. एजेण्डा क्रमांक-25-मेसर्स खन्ना पॉलीवेव प्रा.लि., रीवा-**समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2012-13 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 18.08.2011 है। वर्ष 2012-13 हेतु इकाई का यह द्वितीय क्लेम है। समिति की बैठक दिनांक 21.12.2012 में इकाई के प्रथम क्लेम स्वीकृति के दौरान उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 1063.92 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 18.08.2011 से 17.08.2021 तक (10 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। इकाई के वर्ष 2012-13 में चुकाये गये कर की राशि रू. 165.51 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 124.13 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।
- 26. एजेण्डा क्रमांक-26-मेसर्स डिलाइट डेयरी लि., देवास-**समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 15.09.2007 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई का यह चतुर्थ क्लेम है। समिति की बैठक दिनांक 17.06.2009 में इकाई के प्रथम क्लेम स्वीकृति के दौरान उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 474.20 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 15.09.2007 से 14.09.2012 तक (05 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। इकाई के वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर की राशि रू. 56.80 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 28.40 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

27. एजेण्डा क्रमांक-27-मेसर्स प्लेटिनम सीमेंट प्रा.लि., धार-समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2012-13 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 27.03.2009 है। वर्ष 2012-13 हेतु इकाई का यह चतुर्थ क्लेम है। समिति की बैठक दिनांक 15.05.2011 में इकाई के प्रथम क्लेम स्वीकृति के दौरान उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 402.64 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 27.03.2009 से 26.03.2014 तक (05 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। इकाई के वर्ष 2012-13 में चुकाये गये कर की राशि रू. 71.33 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 35.66 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

28. एजेण्डा क्रमांक-28-मेसर्स कटारिया इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., रतलाम-समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 19.03.2007 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई का यह चतुर्थ क्लेम है। समिति की बैठक दिनांक 16.11.2011 में प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान उत्पादन दिनांक तक किये गये स्थायी पूंजी निवेश रू. 1778.82 लाख उत्पादन दिनांक से तीन वर्षों की अवधि में किया गया अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश रू.1800.42 लाख इस प्रकार कुल रू. 3569.24 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 19.03.2007 से 18.03.2012 तक (05 वर्ष) मान्य की जा चुकी है।

राज्य स्तरीय समिति के समक्ष यह तथ्य सामने आया कि कुछ इकाईयों द्वारा कम पूंजी निवेश के साथ उत्पादन प्रारंभ करते हुये मूल परियोजना के अनुरूप शेष पूंजी निवेश उत्पादन दिनांक के पश्चात् किया जाता है, तथा शेष पूंजी निवेश के पश्चात इकाई का कुल पूंजी निवेश, जिले की श्रेणी के अनुसार 75 प्रतिशत सुविधा हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है। अतः ऐसे प्रकरणों में इकाईयों की सुविधा 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत किये जाने तथा सुविधा अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.02.2012 में निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में समिति की बैठक दिनांक 21.12.2012 में इकाई की सुविधा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत की गई परन्तु बढी हुई सुविधा के अनुसार इकाई को राशि का वितरण न करते हुये 50 प्रतिशत राशि ही वितरित की गई।

राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप इकाईयों की सुविधा की मात्रा में 25 प्रतिशत तथा सुविधा अवधि में भी वृद्धि होने से शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार आने के कारण समिति की बैठक दिनांक 25.02.2012 में लिये गये निर्णय की पुष्टि वित्त विभाग से चाही गई।



वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के पत्र दिनांक 21.02.2014 के अनुसार वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव पर निम्नानुसार अभिमत दिया गया है:—

1. उद्योगों द्वारा उत्पादन प्रारंभ होने के बाद निरंतर विस्तार एवं आधुनिकीकरण करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके आधार पर राज्य शासन की सहायता में वृद्धि करने का औचित्य नहीं है।
2. प्रशासकीय विभाग के प्रस्ताव राज्य शासन पर सहायता (वित्तीय) प्रदान करने का निरंतर बढ़ता हुआ व्यय भार आयेगा।
3. अतः वित्त विभाग के पूर्व के अभिमत पर रहते हुये प्रस्ताव से असहमति व्यक्त की जाती है।

शासन के उपरोक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना-2004 की कंडिका-3.7 (अ) एवं कंडिका-6 के अनुसार इकाई को निवेश संवर्धन सहायता सुविधा की मात्रा एवं अवधि की गणना, इकाईयों द्वारा उत्पादन दिनांक तक किये गये स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर समिति की बैठक दिनांक 16.11.2011 में लिये गये निर्णयानुसार सुविधा की मात्रा 50 प्रतिशत मान्य करते हुये इकाई के वर्ष 2010-11 में वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार चुकाये गये कर की राशि रू. 619.22 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 309.61 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

29. एजेण्डा क्रमांक-29-मेसर्स भण्डारी फाइल्स एण्ड ट्यूब्स लि., यूनिट-3 देवास-समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 (अवधि दिनांक 01.04.2010 से 25.03.2011 तक) के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 26.03.2006 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई का यह पंचम क्लेम है। समिति की बैठक दिनांक 17.12.2007 में इकाई के प्रथम क्लेम स्वीकृति के दौरान उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 1154.25 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 26.03.2006 से 25.03.2011 तक (05 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। इकाई के वर्ष 2010-11 (अवधि दिनांक 01.04.2010 से 25.03.2011 तक) में चुकाये गये कर की राशि रू. 149.13 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 74.56 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।
30. एजेण्डा क्रमांक-30-मेसर्स कृष्णा बेल्ट प्रा.लि., छिंदवाडा-समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 25.03.2009 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई का यह द्वितीय क्लेम है। समिति की बैठक दिनांक 15.05.2013 में इकाई के प्रथम क्लेम स्वीकृति

के दौरान उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 1069.12 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 25.03.2009 से 24.03.2019 तक (10 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। इकाई के वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर की राशि रू. 26.34 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 19.75 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

31. एजेण्डा क्रमांक-31-मेसर्स यूनिवर्सल केबल्स लि., सतना-समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2011-12 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई तकनीकी उन्नयन है। तकनीकी उन्नयन अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 29.03.2007 है। वर्ष 2011-12 हेतु इकाई से प्राप्त यह पंचम क्लेम है। समिति की बैठक दिनांक 01.01.2011 में उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 4581.45 लाख एवं समिति की बैठक दिनांक 25.02.2012 एवं 17.09.2013 में उत्पादन दिनांक से तीन वर्षों की अवधि में किया गया अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश क्रमशः रू. 2015.17, रू.185.91 लाख मान्य किया गया है इस प्रकार कुल रू. 6782.53 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 29.03.2007से 28.03.2014 तक(07 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। इकाई के वर्ष 2011-12 में चुकाये गये कर की राशि रू. 516.91 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर एवं इनपुट टैक्स रिवेट को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 387.68 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।
32. एजेण्डा क्रमांक-32-मेसर्स अनिक इण्डस्ट्रीज लि., भोपाल-समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 28.03.2008 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई का यह तृतीय क्लेम है एवं समिति की बैठक दिनांक 26.09.2012 में इकाई के प्रथम क्लेम स्वीकृति के दौरान उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 325.40 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 28.03.2008 से 27.03.2011 तक (03 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। इकाई के वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर की राशि रू. 20.00 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 10.00 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।
33. एजेण्डा क्रमांक-33-मेसर्स मैहर सीमेंट, सतना-समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2011-12 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अंतर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 01.01.2007 है। वर्ष 2011-12 हेतु इकाई का यह छटवां क्लेम है। समिति की बैठक दिनांक 26.09.2012 में प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 8767.45 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.01.2007 से 31.12.2013 तक (07 वर्ष) मान्य की जा चुकी है।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, सतना द्वारा जारी कर पुष्टि आदेश के अनुसार महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सतना द्वारा इकाई के कुल जमा कर रू. 895.50 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 671.62 लाख की सहायता दिये जाने की अनुशंसा की गई है। समिति के समक्ष वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई को विस्तार अंतर्गत सुविधा की पात्रता है। इकाई के मूल उत्पादन एवं विस्तारित क्षमता हेतु किये गये उत्पादन के अनुपातिक रूप से अंतरराज्यीय विक्रय एवं स्थानीय विक्रय से जमा किये गये कर की राशि रू. 795.05 लाख है। अतः इकाई को उक्त राशि पर ही सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिये। समिति द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अभिमत को मान्य करते हुये इकाई के पक्ष में वर्ष 2011-12 में चुकाये गये कर राशि रू. 795.05 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 596.29 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई है।

- 34. एजेण्डा क्रमांक-34-मेसर्स डिजीटल माईक्रोन रोटो प्रिंट प्रा.लि.,पीथमपुर-समिति** द्वारा इकाई के वर्ष 2008-09 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 01.10.2008 है। वर्ष 2008-09 हेतु इकाई का यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा इकाई में उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 487.83 लाख मान्य किया जाकर एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.10.2008 से 30.09.2013 तक (05 वर्ष) मान्य की गई है। इकाई के वर्ष 2008-09 में चुकाये गये कर की राशि रू. 0.75 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 0.37 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।
- 35. एजेण्डा क्रमांक-35-मेसर्स डिजीटल माईक्रोन रोटो प्रिंट प्रा.लि.,पीथमपुर-समिति** द्वारा इकाई के वर्ष 2009-10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 01.10.2008 है। वर्ष 2009-10 हेतु इकाई का यह द्वितीय क्लेम है। समिति द्वारा एजेण्डा क्रमांक-34 में इकाई के प्रथम क्लेम स्वीकृति के दौरान स्थायी पूंजी निवेश रू. 487.83 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.10.2008 से 30.09.2013 तक (05 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। इकाई के वर्ष 2009-10 में चुकाये गये कर की राशि रू. 20.17 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 10.08 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।
- 36. एजेण्डा क्रमांक-36-मेसर्स डिजीटल माईक्रोन रोटो प्रिंट प्रा.लि.,पीथमपुर-समिति** द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 01.10.2008 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई का यह तृतीय क्लेम है। समिति द्वारा एजेण्डा क्रमांक-34 में इकाई के प्रथम क्लेम

स्वीकृति के दौरान स्थायी पूंजी निवेश रू. 487.83 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.10.2008 से 30.09.2013 तक (05 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। इकाई के वर्ष 2010-11 में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी कर पुष्टि आदेश के अनुसार चुकाये गये कर की राशि रू. 26.99 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) होना बताया गया है परन्तु बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि चुकाये गये कर की राशि रू. 26.91 लाख है। अतः समिति द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिवेदन को मान्य करते हुये राशि रू. 26.91 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 13.45 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

**37. एजेण्डा क्रमांक-37-मेसर्स सतगुरु सीमेंट प्रा.लि., धार-समिति** द्वारा इकाई के वर्ष 2012-13 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 30.03.2009 है। वर्ष 2012-13 हेतु इकाई का यह चतुर्थ क्लेम है। समिति की बैठक दिनांक 06.10.2012 में प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 1223.63 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 30.03.2009 से 29.03.2019 तक (10 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। इकाई के वर्ष 2012-13 में चुकाये गये कर की राशि रू. 102.22 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 76.66 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

**38. एजेण्डा क्रमांक-38-मेसर्स बेलमेक्स मेटल इंडिया लि., धार-समिति** द्वारा इकाई के वर्ष 2011-12 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 30.12.2009 है। वर्ष 2011-12 हेतु इकाई का यह तृतीय क्लेम है। समिति की बैठक दिनांक 20.02.2014 में प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 524.09 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 30.12.2009 से 29.12.2014 तक (5 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। इकाई के वर्ष 2011-12 में चुकाये गये कर की राशि रू. 541.35 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 270.67 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

**39. एजेण्डा क्रमांक-39-मेसर्स मेसर्स जेपी रीवा प्लांट, रीवा-समिति** द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 01.10.2005 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई का यह छंटवा क्लेम है। समिति की बैठक दिनांक 03.01.2009 में प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 13459.27 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.10.2005 से 30.09.2015 तक (10 वर्ष) मान्य की जा चुकी है।

इकाई के वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर की राशि रू. 374.26 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 280.69 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

40. एजेण्डा क्रमांक-40-मेसर्स जेपी बेला प्लांट, रीवा-समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अंतर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 01.10.2005 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई का यह चतुर्थ क्लेम है। समिति की बैठक दिनांक 06.10.2012 में प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 9552.66 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.10.2005 से 30.09.2015 तक (10 वर्ष) मान्य की जा चुकी है।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, सतना द्वारा जारी कर पुष्टि आदेश के अनुसार महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सतना द्वारा इकाई के कुल जमा कर रू. 198.25 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 148.69 लाख की सहायता दिये जाने की अनुशंसा की गई है। समिति के समक्ष वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई को विस्तार अंतर्गत सुविधा की पात्रता है। इकाई के मूल उत्पादन एवं विस्तारित क्षमता हेतु किये गये उत्पादन के अनुपातिक रूप से अंतरराज्यीय विक्रय एवं स्थानीय विक्रय से जमा किये गये कर की राशि रू. 107.00 लाख है। अतः इकाई को उक्त राशि पर ही सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिये। समिति द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अभिमत को मान्य करते हुये इकाई के पक्ष में वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर राशि रू. 107.00 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 80.25 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई है।

41. एजेण्डा क्रमांक-41-मेसर्स पेब स्टील लॉयड इंडिया लि., पीथमपुर-समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 01.08.2007 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई का यह चतुर्थ क्लेम है। समिति की बैठक दिनांक 30.03.2010 में इकाई के प्रथम क्लेम स्वीकृति के दौरान उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 2437.01 लाख एवं समिति की बैठक दिनांक 15.05.2013 में इकाई का स्थायी पूंजी निवेश संशोधन कर रू. 2101.70 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.08.2007 से 31.07.2017 तक (10 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। इकाई के वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर की राशि रू. 167.02 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 125.27 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

42. एजेण्डा क्रमांक-42-मेसर्स नाहर पोलीफिल्म, मण्डीदीप-समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2011-12 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 20.05.2010 है। वर्ष 2011-12 हेतु इकाई का यह द्वितीय क्लेम है। समिति की बैठक दिनांक 16.11.2011 में इकाई के प्रथम क्लेम स्वीकृति के दौरान उत्पादन दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रू. 15607.32 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 20.05.2010 से 19.05.2020 तक (10 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। इकाई के वर्ष 2011-12 में पंजीकृत उत्पाद पर चुकाये गये कर की राशि रू. 411.62 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर एवं बाई प्रोडक्ट पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 308.71 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

सभी सदस्यों को धन्यवाद के साथ बैठक संपन्न हुई ।

(अरुण कुमार भट्ट)  
प्रबंध संचालक  
म.प्र.ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन  
कार्पोरेशन लिमिटेड, सदस्य सचिव,  
राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन  
सहायता समिति

(मोहम्मद सुलेमान)  
प्रमुख सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग एवं  
अध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन  
सहायता समिति